न्यायालय तहसीलदार

वाद सं० 20/16

तारीख हुक्म		हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	25.2.16	नवीन वादी० ने पेशकार नायब तह० के समक्ष बयान अपने अधिवक्ता के माध्यम से निम्न बयानी अंकित करायी है — 1. खसरा नं० 253/240 वाले निशान अ०बी० के पिता की मृ० 31.5.89 को मृत्यु हुई जिसके वादी० के दो लड़के हैं। निशान वादी० के नाम दर्ज है। कि मैं वादी 2. अदालत वि० अ० नगर पालिका देहरादून में स्थित है जिसपर न्यायालय सम्मन की तामील नहीं की जा सकती क्या तामील जायज है? — जि० के प्रति 3. इत्तला? एतद्वारा नोटिस सादर वादी दि० 28.4.16 को पेश हो।	
	28.4.16	परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र वापस लिया गया है। अतः स्वीकृत 8.6.16 को पेश हो।	
	7.6.16	आज पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान के अन्तर्गत 2016 मेरा निराकरण सम्बन्धी में प्रस्तुत हुई। मेरे के दौरान उपस्थित ग्राम वादी पक्ष ने वादी के हलफनामे मय पत्रावली मौका तैयार कराया गया। वादी की ओर से प्रेमसिंह PW1, मनोहर सिंह PW2 चन्द्रपाल PW3 के बयान कराये गये। प्रतिवादी की ओर से कोई [illegible] मूल दस्तावेज की छाया प्रति [illegible] किये। [illegible] जाने के लिये [illegible] पत्रावली [illegible] गया। पत्रावली देखकर स्पष्ट होता है कि पूर्व उपरोक्त [illegible]	भगवानचरण जवाहरसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.08.25 12:04:30 IST
Reason: SelfAttested

(चिकित्सा अधिकारी) कलक्टर

Scanned with CamScanner